कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 430/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.11.2026

आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई में 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

☐ ***थाना मेंहनगर:*** **शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने, अश्लील वीडियो वायरल करने एवं वीडियो डिलीट करने के नाम पर धनराशि लेने के आरोपी 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

☐ ***थाना महराजगंज:*** **अपहृता एवं अपहरण के आरोपी को अपने घर में शरण देकर छिपाने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

☐ ***थाना कप्तानगंज:*** **दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्ताएं गिरफ्तार।**

थाना मेंहनगर –

दिनांक 12.11.2026 को एक पीड़िता द्वारा थाना मेंहनगर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त हरेंद्र यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी ग्राम मालपार, थाना मेंहनगर द्वारा शादी का झांसा देकर करीब 02-03 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया गया तथा शादी से इन्कार करते हुए उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा वीडियो डिलीट करने के नाम पर 60 हजार रुपये भी ले लिए गए तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0-375/2026 धारा 69, 352, 351(3), 308(2) बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई।

दिनांक 14.11.2026 को उ0नि0 रामरतन यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त हरेंद्र यादव को बाबू की खजुरी से समय 13:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ।

आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0-375/2026 धारा 69, 352, 351(3), 308(2) बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट, थाना मेंहनगर।
2. मु0अ0सं0-287/2017 धारा 323, 325, 504 भादवि, थाना मेंहनगर।

थाना महराजगंज –

दिनांक 10.10.2026 को एक व्यक्ति द्वारा अपनी 18 वर्षीय पुत्री को अभियुक्त अजय कुमार पुत्र मिठाई राम निवासी ग्राम जमीलपुर, थाना महराजगंज द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0-243/2026 धारा 87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

दिनांक 12.11.2026 को विवेचक उ0नि0 कलाप कलाधर त्रिपाठी मय पुलिस बल द्वारा मुकदमे की अपहृता की तलाश के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम जलालपुर (महाबल पट्टी), थाना कप्तानगंज स्थित तीर्थराज उर्फ राजकुमार के घर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान अपहृता उक्त व्यक्ति के घर से बरामद हुई। जांच में पाया गया कि तीर्थराज उर्फ राजकुमार द्वारा जानबूझकर अपहृता एवं उसे भगाने वाले अभियुक्त को अपने घर में शरण देकर छिपाया गया था।

इस पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 142 बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त तीर्थराज उर्फ राजकुमार पुत्र सूबेदार निवासी ग्राम जलालपुर (महाबल पट्टी), थाना कप्तानगंज को दिनांक 12.11.2026 को समय 21:20 बजे गिरफ्तार किया गया।

आपराधिक इतिहास:

मु0अ0सं0-243/2026 धारा 87/142 बीएनएस, थाना महराजगंज।

थाना कप्तानगंज –

दिनांक 12.11.2026 को वादी द्वारा अपनी पुत्री की शादी दिनांक 17.05.2026 को अभियुक्त इन्द्रभान पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम कुशमहरा (खेवराजवर), थाना कप्तानगंज के साथ होने तथा ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका को शारीरिक एवं

मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर देने के संबंध में तहरीर दी गई। इस संबंध में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0-346/2026 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
दिनांक 14.11.2026 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ताओं 1. चन्द्रकला पुत्री सन्तराम उम्र करीब 22 वर्ष तथा 2. सुमित्रा पत्नी सन्तराम उम्र करीब 50 वर्ष, निवासीगण ग्राम कुशमहरा (खेवराजवर), थाना कप्तानगंज को हेतुगंज सड़क के किनारे से समय 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ताओं को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।
आपराधिक इतिहासः
मु0अ0सं0-346/2026 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना कप्तानगंज।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमेंः
थाना मेंहनगर से उ0नि0 रामरतन यादव, हे0का0 जितेन्द्र एवं हे0का0 नागेन्द्र द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।
थाना महराजगंज से उ0नि0 कलाप कलाधर त्रिपाठी, उ0नि0 ओमकार तिवारी, हे0का0 राजेश कुमार, का0 राकेश कुमार चौरसिया, का0 संदीप कुमार, म0का0 खुशी गुप्ता एवं म0का0 साक्षी सरोज द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी की गई।
थाना कप्तानगंज से थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, का0 धर्मेन्द्र जायसवाल, का0 दीपू यादव एवं म0का0 प्रीति यादव द्वारा दोनों अभियुक्ताओं की गिरफ्तारी की गई।

☐ थाना सिधारी पुलिस द्वारा मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार।
☐ थाना जहानागंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

1. थाना सिधारी – मोबाइल छिनैती की घटना में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
दिनांक 08.11.2026 को रात्रि लगभग 21:00 बजे थाना सिधारी क्षेत्रान्तर्गत सिधारी पेट्रोल पम्प से लगभग 200 मीटर पूरब दो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिनी गुड़िया पुत्री टुनू राम निवासी ग्राम लेदिया, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर का मोबाइल फोन छीनकर भाग जाने की घटना हुई थी। इस संबंध में वादिनी द्वारा थाना सिधारी पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 465/26 धारा 304(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 317(2)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।
दिनांक 13.11.2026 को उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1. आयुष सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम करनपुर थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष तथा 2. आयुष पाण्डेय पुत्र पियूष पाण्डेय निवासी ग्राम पलिया सोफीगंज थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष को बैठौली तिराहे से दौलतपुर जाने वाले मार्ग पर लगभग 100 मीटर आगे से दिनांक 13.11.2026 को समय करीब 22:30 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपनी सफाई माननीय न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात बताई गई।
पंजीकृत अभियोगः मु0अ0सं0 465/26 धारा 304(2)/317(2)/61(2) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव के नेतृत्व में का0 अवधेश कुमार गुप्ता एवं का0 सन्नी सिंह, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

2. थाना जहानागंज – अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार
दिनांक 14.11.2026 को उ0नि0 दिनेश कुमार पाल मय हमराह पुलिस बल द्वारा चक्रपानपुर चौराहे के आसपास क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों की चेकिंग तथा डाला छठ पूजा के दृष्टिगत पोखरों का निरीक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर तरछा पुलिया के दक्षिण दिशा में स्थित अर्धनिर्मित मंदिर के पास से अभियुक्त आजाद यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी ग्राम वीरभद्रपुर, पोस्ट शेरपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष को दिनांक 14.11.2026 को समय करीब 00:52 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। इस संबंध में थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 237/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 312/2024 धारा 382, 411, 506 भादवि, थाना जहानागंज।
2. मु0अ0सं0 313/2024 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज।
3. मु0अ0सं0 237/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज।

बरामदगी: 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम: उ0नि0 दिनेश कुमार पाल के नेतृत्व में का0 रितेश प्रताप सिंह, का0 अजय गौड़, रि0का0 सर्वजीत पाठक एवं आरक्षी अजीत यादव, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

गैंगस्टर एक्ट के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, एक अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

☐ थाना अतरौलिया: अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर दो व्यक्तियों से कुल ₹05 लाख की ठगी कर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित गैंगलीडर को अवैध तमंचा .315 बोर व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

☐ थाना तहबरपुर: रात्रि में घरों, दुकानों एवं सार्वजनिक स्थानों की रेकी कर ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह के 02 वांछित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

थाना अतरौलिया –

दिनांक 25.03.2026 को वादी मुकदमा आशीष यादव पुत्र रामसुरेश यादव निवासी ग्राम चनैता, थाना अतरौलिया एवं जयप्रकाश यादव पुत्र रामबूझ यादव निवासी ग्राम हैदरपुर, थाना अतरौलिया द्वारा अलग-अलग प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की गई कि मनोज यादव पुत्र बाबूराम यादव निवासी ग्राम तेजापुर, थाना अतरौलिया एवं पिन्टू यादव उर्फ कृष्णा द्वारा अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर दोनों से अलग-अलग ऑनलाइन माध्यम से ₹2.50-2.50 लाख (कुल ₹05 लाख) प्राप्त किए गए तथा कूटरचित फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

उक्त प्रकरण में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-118/2026 एवं 119/2026 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 351(3), 3(5), 111(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्तों के संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 10.09.2026 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया, जिसके क्रम में मु0अ0सं0-352/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 14.11.2026 को थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार दूबे मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित गैंगलीडर मनोज यादव पुत्र बाबूराम यादव निवासी ग्राम तेजापुर, थाना अतरौलिया उम्र करीब 38 वर्ष को ग्राम महरुपुर अंडरपास के समीप से समय करीब 03:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा .315 बोर एवं 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-406/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत एक अन्य अभियोग पंजीकृत किया गया है।

आपराधिक इतिहास:

अभियुक्त मनोज यादव के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत हैं—

1. मु0अ0सं0-118/2026 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 351(3), 3(5), 111(4) बीएनएस।
2. मु0अ0सं0-119/2026 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 351(3), 3(5), 111(4) बीएनएस।
3. मु0अ0सं0-49/2018 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
4. मु0अ0सं0-50/2018 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
5. मु0अ0सं0-61/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
6. मु0अ0सं0-117/2018 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
7. मु0अ0सं0-352/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना अतरौलिया।
8. मु0अ0सं0-406/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अतरौलिया।

<u>थाना तहबरपुर –</u>

गिरफ्तार अभियुक्त संजय कुमार पुत्र मूरी राम निवासी ग्राम खरचलपुर एवं सचिन कुमार पुत्र नगीना लाल निवासी ग्राम धनियाकुण्डी, थाना तहबरपुर एक ऐसे गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जो आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरोह के सदस्य पहले सुनसान घरों, दुकानों एवं अन्य स्थानों की रेकी करते थे तथा रात्रि में ताला तोड़कर नकदी एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर लेते थे।

इस गिरोह के विरुद्ध विभिन्न वादियों द्वारा चोरी की घटनाओं के संबंध में शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। इनमें वादी रवि यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी बद्दोपुर द्वारा ग्राम नवापुरा में जल जीवन मिशन की पानी की टंकी से बैटरी एवं इन्वर्टर चोरी किए जाने, वादी वीरेन्द्र कुमार राय पुत्र स्व0 रमाशंकर राय निवासी तहबरपुर द्वारा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से पाइप एवं अन्य सामान चोरी किए जाने, वादी चन्द्रशेखर राय पुत्र स्व0 रमेशचन्द्र राय निवासी धर्मदासपुर द्वारा खेत में लगे समरसेबल का सिलेंडर चोरी किए जाने तथा वादी कुलदीप कुमार मौर्य पुत्र रामखेल मौर्य निवासी रामपुर बैरमपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय ईश्वर नुरुद्दीनपुर के रसोईघर से गैस सिलेंडर, चूल्हा एवं अन्य सामान चोरी किए जाने की घटनाएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त वादी मूलचन्द्र यादव पुत्र लखराज यादव निवासी पठखौली द्वारा गौआश्रय स्थल से स्ट्रीट लाइट के उपकरण चोरी किए जाने, वादी रमेश चौहान पुत्र स्व0 असरेख चौहान निवासी शेखूपुर एवं अन्य दुकानदारों द्वारा दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चोरी किए जाने तथा वादी वंशू चौरसिया पुत्र स्व0 रामदेव चौरसिया निवासी वसही वन्देदासपुर द्वारा घर से एलसीडी टीवी, इंडक्शन चूल्हा एवं अन्य सामान चोरी किए जाने के संबंध में भी अभियोग पंजीकृत कराए गए थे।

उक्त घटनाओं में विवेचना एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आए थे तथा संबंधित अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किए जा चुके हैं। गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु गैंग चार्ट अनुमोदित होने के उपरांत थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0-166/2026 धारा 2(ख)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 13.11.2026 को वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक अखिलेश यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त संजय कुमार पुत्र मूरी राम निवासी ग्राम खरचलपुर, थाना तहबरपुर को ग्राम दरीखा (संजरपुर), थाना सरायमीर स्थित उसकी बहन के घर से समय 19:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 14.11.2026 को वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक अखिलेश यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमे में वांछित दूसरे अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र नगीना लाल निवासी ग्राम धनियाकुण्डी, थाना तहबरपुर को उसके घर के दरवाजे से समय 07:45 बजे गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहासः

अभियुक्त संजय कुमार

1. मु0अ0सं0-146/2024 धारा 379, 411 भादवि, थाना तहबरपुर।
2. मु0अ0सं0-217/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना तहबरपुर।
3. मु0अ0सं0-226/2024 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना तहबरपुर।
4. मु0अ0सं0-051/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना तहबरपुर।
5. मु0अ0सं0-207/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना तहबरपुर।
6. मु0अ0सं0-166/2026 धारा 2(ख)(xvii)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना तहबरपुर।

अभियुक्त सचिन कुमार

1. मु0अ0सं0-148/2018 धारा 352/354(ख) भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना तहबरपुर।
2. मु0अ0सं0-178/2025 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना तहबरपुर।
3. मु0अ0सं0-180/2024 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना तहबरपुर।
4. मु0अ0सं0-182/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना तहबरपुर।
5. मु0अ0सं0-166/2026 धारा 2(ख)(xvii)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना तहबरपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमें

थाना अतरौलिया से थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार दूबे, का0 सुमित सिंह, का0 महेश पटेल, म0का0 निधि मिश्रा एवं म0का0 अंशिका सिंह द्वारा अभियुक्त मनोज यादव की गिरफ्तारी की गई।

थाना तहबरपुर से वरिष्ठ उपनिरीक्षक अखिलेश यादव, उ0नि0 लोकेशमणि त्रिपाठी, का0 आफताब आलम, का0 किशन मिश्रा, का0 यशपाल यादव, म0का0 नर्वदा निषाद एवं म0का0 मान्शी मौर्या द्वारा दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई।